न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 113 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
गोरधनराम पुत्र दमाराम जाति जाट निवासी खेडा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर	1. भगाराम पुत्र दमाराम 2. दलाराम पुत्र दमाराम जाति जाट निवासी खेडा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 3. श्रीमान तहसीलदार / उप पंजीयन चौहटन 4. शाखा प्रबन्धक, आरएमजीबी चौहटन

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 17 / 2020 बअनवान भगाराम बनाम दलाराम वगै निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रमेशकुमार गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मेघाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री प्रवीण चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 02.11.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा खेडा तहसील चौहटन जिला बाडमेर के खसरा नम्बर 919 / 16 रकबा 128.16 बीघा का आया हुआ है। जिसमें वादी का 78 / 151 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है तथा इसी अनुसार पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद का दर्ज कर सम्मन जारी किये गये जो अपीलांटस से तामील नहीं करवाये गये तथा अपीलांट को वाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार

से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी करते वक्त अपीलांट के नाम जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अपीलंट वादग्रस्त खेत के रेकर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है जिसका उल्लंघन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। वादी का 78/151 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। जिसमें वादी का 78/151 हिस्सा घोषित करना न्यायोचित है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में घोषित किया गया है। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अपीलांट दावे को लंबित करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपीलांट सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील रेस्पोडेंटस संख्या 02 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रकरण को अनावश्य लंबा करने की नियत से पेश की गई। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर वहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में हल्का पटवारी व आर आई बिना सूचना दिये मौके पर आये तथा वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने पर हल्का पटवारी ने सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत करवाया तथा बाद में हल्का पटवार व आर आई ने मौके पर किसी प्रकार की लिखापढी किये बिना ही चले गये जिस पर अपीलांट ओर अधिक संशय हुआ, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 20.06.2022 को आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की नकले मांगी जो तैयार होकर दिनांक 23.8.2022 को मिलने सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम सम्मन जारी किया गया जो रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाया गया उसके बावजूद भी अपीलांट न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं रहे। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को नाहय तंग व परेशान करने की नीयत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैः और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2020 बअनवान भगाराम बनाम दलाराम वगै निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.05.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर